

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(तृतीय सत्र)

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

बुधवार, 29 अगस्त, 2018/7 भाद्रपद, 1940 (शक्)

[मुख्य मन्त्री - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री - शिक्षा मन्त्री - बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री - शहरी विकास मन्त्री - कृषि मन्त्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री - उद्योग मन्त्री - वन मन्त्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री].

कुल प्रश्न - 1

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण

*511 श्री रमेश चंद धवाला(ज्वालामुखी) :
श्री पवन कुमार काजल(कांगड़ा) :

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में कितना आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को दिया जा रहा है; संस्थानवार प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में सभी विश्वविद्यालयों तथा मैडिकल, इंजीनियरिंग, B.Ed व Polytechnic Colleges में दाखिले में दिए जाने वाले आरक्षण का ब्यौरा दें; और

(ख) क्या सरकार केन्द्र की नीति के अनुसार 27 प्रतिशत दाखिले में आरक्षण देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक?

शिमला: 171004.

दिनांक: 3 अगस्त, 2018.

यशपाल शर्मा,

सचिव।

